



# कार्यालय पुलिस अधीक्षक आजमगढ़

website- <http://uppolice.gov.in> E-mail- [spazh-up@nic.in](mailto:spazh-up@nic.in) [proazh@gmail.com](mailto:proazh@gmail.com)

पत्र सं.- 287/22

दिनांक- 31-अगस्त-2022

## प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- बिलरियागंज

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.05.2022 को आवेदक श्री साकेब अहमद पुत्र मोफिद अहमद निवासी मोहिउद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा जमीन सम्बन्धित धोखाधड़ी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 86/2022 धारा 419/420/467/468/471/406/506 भा0द0वि0 बनाम 1. नागेन्द्र यादव पुत्र फूलबदन यादव निवासी ग्राम कोटवा बेरमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. मिन्दू यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी ग्राम कुर्धीपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 3. नीरज मिश्रा उर्फ श्याम प्रकाश मिश्रा पुत्र सूर्यभान मिश्रा निवासी ग्राम मिश्रपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ 4. अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। प्रकाश मे आये अभियुक्त उदयराज पुत्र रामपलट निवासी ग्राम नौबरार त्रिपुरार खालसा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ की आज दिनांक 31.08.2022 को गिरफ्तार किया गया है।

### गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 31.08.2022 को उ0नि0 मिथिलेश कुमार मय हमराहीयान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त उदयराज पुत्र रामपलट निवासी ग्राम नौबरार त्रिपुरार खालसा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से जैगहा बाजार के पास से समय करीब 12.55 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

### पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 86/2022 धारा 419/420/467/468/471/406/506 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- (1) उदयराज पुत्र रामपलट निवासी ग्राम नौबरार त्रिपुरार खालसा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 मिथिलेश कुमार व का0 राजन कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

## थाना- महाराजगंज

### जनसेवा केन्द्र से साइकिल व कम्पोजिट विद्यालय से पंखा चोरी करने वाला गिरफ्तार।

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) – दिनांक- 29.08.2022 को वादी अम्बिका यादव पुत्र स्व0 पलटन यादव निवासी भीलनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की साइकिल चोरी कर ली गयी है, के सम्बन्ध मु0अ0सं0 331/22 धारा 379,411 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी,

2. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक 31.08.22 उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध प्रकाश में आये अभियुक्त विवेचना के दौरान अभियुक्त दिनेश पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम आराजी अमानी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष का नाम प्रकाश में आया जिसे परशुराम बाजार के पास से समय सुबह 08.40 बजे पुलिस हिरासत में लेकर अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त ने दिनांक 28.08.22 को जनसेवा केन्द्र सरदहां से साइकिल चुराई गयी थी तथा इससे पूर्व दिनांक 14.08.22 को कम्पोजिट विद्यालय के तीन पंखा चुराया गया था।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 28.08.2022 को जो लाल रंग नीलम कम्पनी की साइकिल सरदहां से चुरायी थी तथा दिनांक- 14.08.22 को कम्पोजिट विद्यालय के तीन पंखे चोरी किया था जिसमें से दो पंखे खर्च चलाने हेतु बेच दिया हूँ जिसका पैसा खर्च हो गया है एक पंखा घर के बाहर मड़ई में छिपाकर रखा हूँ, मड़ई से एक अदद पंखा व रंग कत्थई कम्पनी कत्थई व तीन अदद पत्ती बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में जानकारी थाना स्थानीय से प्राप्त की गयी तो ज्ञात हुआ कि उक्त चोरी हुये पंखे के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 307/22 धारा 380 भादवि पंजीकृत है।

### पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 307/22 धारा 380, 411 भा0द0वि थाना महाराजगंज आजमगढ़

मु0अ0सं0 331/22 धारा 379,411 भादवि थाना महाराजगंज आजमगढ़

## गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अभियुक्त दिनेश पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम आराजी अमानी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी- एक अदद साइकिल नीलम कम्पनी की बारंग लाल व एक अदद पंखा बारंग कथई मय तीन अदद पत्ती

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- SO श्री कमलकान्त वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 आशुतोष मिश्रा मय हमराह का0 वीरेन्द्र कुमार व का0 विवेक यादव थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

### थाना पवई

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 29.8.2022 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि अभियुक्त मो0 कैफ पुत्र मो0 तौफीक निवासी ग्राम पवई कस्बा थाना पवई आजमगढ़ ने वादिनी को शादी करने का विश्वास दिलाकर 03 वर्ष पूर्व से वादिनी के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया, शादी के लिये कहने पर अभि0 द्वारा शादी करने से इन्कार किया गया तथा गाली गुप्ता देना व लात घूसा से मारना पीटना व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0स0 256/2022 धारा 493/323/504/506 भादवि बनाम मो0 कैफ पुत्र मो0 तौफीक निवासी ग्राम पवई कस्बा व थाना पवई आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया

गिरफ्तारी का विवरण:- उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा दिनांक 31.8.2022 को मु0अ0स0 256/22 धारा 493/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मो0 कैफ पुत्र मो0 तौफीक निवासी ग्राम पवई कस्बा व थाना पवई आजमगढ़ को समय करीब 8.10 बजे बागबहार चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग: मु0अ0स0 256/22 धारा 493/323/504/506 भादवि थाना पवई आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त:—

मो0 कैफ पुत्र मो0 तौफीक निवासी ग्राम पवई कस्बा थाना पवई आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 पवन कुमार सिंह का0असफाक अंसारी थाना पवई आजमगढ़

### थाना कोतवाली जीयनपुर

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 30.08.2022 को वादी थाना जीयनपुर द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि मेरी नाबालिक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 है। थाना घोसी जनपद मऊ के एक युवक ने बहला फुसलाकर भगा ले गया है।

इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 546/22 धारा 363/366 भादवि. पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही हैं। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त मे धारा- 376 भादवि व 3/4 पोस्को एक्ट की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तारी-

आज दिनांक 31.08.2022 को उ.नि. सौरभ कुमार सिंह मय हमराह उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सत्यम पुत्र हरिलाल चमार निवासी नेवादा थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर लिया गया व लगभग 17 वर्षीय अपहृता लडकी थाना जीयनपुर की बरामदगी कर अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. 546/2022 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोस्को एक्ट थाना जीयनपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त -

सत्यम पुत्र हरिलाल चमार निवासी नेवादा थाना घोसी जनपद मऊ

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ.नि. सौरभ कुमार सिंह थाना कोतवाली जीयनपुर, आजमगढ़ मय हमराह।

प्रेस- विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक ने 12 अपराधियों के विरूद्ध खोली हिस्ट्रीशीट

आज दिनांक- 31.08.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा हत्या, डकैती, लूट, डकैती सहित हत्या व चोरी में संलिप्त रहे 12 अपराधियों के विरूद्ध हिस्ट्रीशीट खोली गयी है जिसमें थाना निजामाबाद से 06, थाना तहबरपुर से 02, थाना मेहनाजपुर से 01, थाना बरदह से 01, थाना जीयनपुर से 01 व थाना रौनापार 01 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी, जिनकी निगरानी की जा रही है। नाम निम्नवत है-

- 1- अभियुक्त अली कदर पुत्र रजी अहमद निवासी खुदादादपुर, निजामाबाद, आजमगढ़ (हत्या का प्रयास)
- 2- अभियुक्त वकारन पुत्र सहीदुल्ला निवासी खुदादादपुर, निजामाबाद, आजमगढ़ (हत्या सहित डकैती)
- 3- अभियुक्त अरशद पुत्र मुसीर अहमद निवासी खुदादादपुर, निजामाबाद, आजमगढ़ (हत्या सहित डकैती)
- 4- अभियुक्त अरशद पुत्र नखडू निवासी खुदादादपुर, निजामाबाद, आजमगढ़ (हत्या सहित डकैती)
- 5- अभियुक्त अमजद पुत्र बदरुद्दीन निवासी खुदादादपुर, निजामाबाद, आजमगढ़ (हत्या सहित डकैती)
- 6- अभियुक्त जमशेद पुत्र एकलाख निवासी खुदादादपुर, निजामाबाद, आजमगढ़ (हत्या का प्रयास)
- 7- अभियुक्त मृत्युंजय राय पुत्र गोकस राय निवासी मानिकपुर, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ (लूटेरा)
- 8- अभियुक्त दुर्गेश यादव पुत्र फूलबदन यादव निवासी सोफीपुर, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ ( लूटेरा)
- 9- अभियुक्त आदर्श सिंह पुत्र स्व० उजागिर सिंह निवासी कुरेहरा तेज सिंह, थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ ( हत्या का प्रयास)
- 10- अभियुक्त टुनटुन बनावासी पुत्र बुडू बनवासी निवासी जीवली, थाना बरदह, आजमगढ़ (डकैती सहित हत्या)
- 11- अभियुक्त रामचन्द्र यादव उर्फ सत्यम उर्फ मैकू पुत्र स्व० कन्हैया यादव निवासी भरौली, थाना जीयनपुर आजमगढ़ (चोर)
- 12- अभियुक्त सुभाष पटेल पुत्र रामबली निवासी हाजीपुर (झागरगंज) , थाना रौनापार आजमगढ़ । (हत्यारा)

प्रेस- विज्ञप्ति

01 निरीक्षक, 04 उपनिरीक्षक, 01 मुख्य आरक्षी व 01 अनुचर हुए सेवानिवृत्त

आज दिनांक- 31.08.2022 को पुलिस लाइन्स सभागार आजमगढ़ में जनपद के निरीक्षक अशोक कुमार यादव, उप-निरीक्षक कमला प्रसाद सिंह, उप-निरीक्षक शिवा जी सिंह, उप-निरीक्षक जयप्रकाश पाण्डेय, उप-निरीक्षक रामदुलारे गिरी, मुख्य आरक्षी कामेश्वर सिंह व अनुचर रामाश्रय का सेवाकाल पूर्ण होने पर क्षेत्राधिकारी कार्यालय लालता प्रसाद साहु द्वारा उपरोक्त सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गण को सम्मान पूर्वक विदाई दी गयी तथा उपहार स्वरूप ट्राली बैग भेंट किया गया। सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं व उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गयी। उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी गण का सेवा काल सराहनीय रहा है। इस मौके पर प्रतिसार निरीक्षक व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे।